अनुसंधान प्रश्न

"भारत में संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करने से पुलिस के इनकार पर व्यक्ति के पास क्या उपाय हैं, जिसमें ललिता कुमारी दिशानिर्देश, पुलिस अधीक्षक को शिकायत और बीएनएसएस के तहत मजिस्ट्रेट के पास आवेदन शामिल हों?"

विधिक रिसर्च मेमो

विषय-सूची

I. मेमो 2

Vitark AI द्वारा तैयार · अत्यंत गोपनीय · उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. मेमो

अनुसंधान ज्ञापन (Research Memo)

विषय: भारत में संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से पुलिस के इनकार पर पीड़ित के पास कानूनी उपचार और प्रक्रिया (बी.एन.एस.एस., 2023 एवं ललिता कुमारी दिशानिर्देशों के विशेष संदर्भ में)।

---

१. मुख्य सारांश (TL;DR)

जब पुलिस किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर भी प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से इनकार करती है, तो भारतीय कानून पीड़ित को एक क्रमिक और सुव्यवस्थित वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। नए कानून **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)** के लागू होने के बाद, पीड़ित के पास निम्नलिखित चरणबद्ध उपाय मौजूद हैं: 1. **प्राथमिक उपचार (धारा 173(1) BNSS):** पुलिस थाना प्रभारी (SHO) को संज्ञेय अपराध की सूचना देना। 'ललिता कुमारी' मामले के अनुसार, संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है। 2. **द्वितीयक उपचार (धारा 173(4) BNSS - पूर्ववर्ती धारा 154(3) CrPC):** थाना प्रभारी द्वारा इनकार किए जाने पर, लिखित शिकायत डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police - SP) को भेजना। 3. **न्यायिक उपचार (धारा 175(3) BNSS - पूर्ववर्ती धारा 156(3) CrPC):** यदि SP स्तर पर भी कार्रवाई नहीं होती है, तो संबंधित क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर कर जांच और FIR दर्ज करने का निर्देश प्राप्त करना। 4. **वैकल्पिक न्यायिक उपाय (धारा 223 BNSS - पूर्ववर्ती धारा 200 CrPC):** मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधे निजी शिकायत (Private Complaint) दर्ज कराना।

---

२. कानूनी विश्लेषण और वैधानिक ढांचा

(क) ललिता कुमारी दिशानिर्देश और FIR की अनिवार्यता

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 SCC 1 के ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे: * **अनिवार्य पंजीकरण:** यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) का प्रकटीकरण होता है, तो धारा 154 CrPC (अब धारा 173 BNSS) के तहत FIR दर्ज करना पुलिस के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस चरण में पुलिस सूचना की सत्यता या विश्वसनीयता की जांच करने के बहाने पंजीकरण को टाल नहीं सकती (स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम श्री मंगेपेट (2019) 14 *S.C.R.*)। * **प्रारंभिक जांच (Preliminary Inquiry) की सीमित अनुमति:** केवल कुछ विशिष्ट श्रेणियों में ही FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति दी गई है (जैसे- वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, व्यावसायिक अपराध, चिकित्सा लापरवाही, भ्रष्टाचार के मामले, या जहाँ ३ महीने से अधिक का अत्यधिक विलंब हो)। * **समय सीमा और दंडात्मक कार्रवाई:** प्रारंभिक जांच की अवधि ७ दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की सूचना के बावजूद FIR दर्ज नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए (के.पी. तमिलमारन बनाम उप पुलिस अधीक्षक (2025) *INSC* 576)।

(ख) पुलिस अधीक्षक (SP) को शिकायत: धारा 173(4) BNSS

यदि थाने का भारसाधक अधिकारी (SHO) FIR दर्ज करने से मना करता है: * **प्रावधान:** पीड़ित व्यक्ति धारा 173(4) BNSS के तहत शिकायत का विवरण लिखित रूप में और डाक द्वारा (या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से) संबंधित पुलिस अधीक्षक (SP) को भेज सकता है। * **कार्रवाई:** यदि SP संतुष्ट होता है कि दी गई जानकारी से संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो वह या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को जांच का निर्देश देगा।

(ग) मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन: धारा 175(3) BNSS

यदि पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर पर भी राहत नहीं मिलती है, तो पीड़ित सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ of Mandamus) दायर करने के बजाय मजिस्ट्रेट की शरण में जाएगा। * **प्रक्रिया: धारा 175(3) BNSS** (जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 156(3) के समतुल्य है) के तहत क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट को पुलिस को FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। * **शपथ पत्र की अनिवार्यता:** धारा 175(3) के तहत आवेदन के साथ एक **शपथ पत्र (Affidavit)** संलग्न करना अनिवार्य है, जो यह पुष्टि करता है कि आवेदक ने धारा 173(1) और धारा 173(4) के तहत उपलब्ध प्रारंभिक पुलिस उपचारों का पहले ही उपयोग कर लिया है और वे निष्फल रहे हैं (साकिरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धांतों के अनुरूप)।

(घ) सीधे मजिस्ट्रेट के पास निजी शिकायत: धारा 223 BNSS

पीड़ित के पास **धारा 223 BNSS** (पूर्ववर्ती धारा 200 CrPC) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधे निजी शिकायत (Private Complaint) दर्ज करने का भी विकल्प है। इस प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों की जांच करता है और यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो आरोपी को समन जारी करता है।

---

३. न्यायशास्त्रीय विकास (Case Law Jurisprudence)

विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने लगातार यह स्थापित किया है कि जब तक संहिता (BNSS/CrPC) के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपचारों (SP और मजिस्ट्रेट के पास जाना) का पूरी तरह से उपयोग न कर लिया जाए, तब तक **अनुच्छेद 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय में रिट याचिका (Writ of Mandamus) विचारणीय नहीं है**:

1. **मोहम्मद लश्कर अली बनाम असम राज्य (गौहाटी उच्च न्यायालय, 2025):** इस हालिया निर्णय में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया कि पूर्ववर्ती CrPC की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियां अब **BNSS की धारा 175(3)** के तहत प्रयोग की जा सकती हैं। यदि पीड़ित पुलिस द्वारा FIR दर्ज न किए जाने से व्यथित है, तो वह सीधे रिट याचिका दायर करने के बजाय धारा 175(3) BNSS के तहत क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करे।
2. **भीम यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, 2025):** न्यायालय ने यह दोहराया कि FIR न होने की स्थिति में पीड़ित को सीधे उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों (धारा 528 BNSS / पूर्ववर्ती धारा 482 CrPC) का सहारा नहीं लेना चाहिए। पीड़ित के पास **धारा 175(3) BNSS** या **धारा 223 BNSS** के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिक प्रभावी और वैकल्पिक उपाय मौजूद है।
3. **शिव राज बहादुर उर्फ जमुना प्रसाद बनाम भारत संघ (इलाहाबाद उच्च न्यायालय, 2024):** इस मामले में 'ललिता कुमारी' दिशानिर्देशों का विश्लेषण करते हुए यह निर्णय दिया गया कि पुलिस के कर्तव्य पालन न करने पर रिट ऑफ मैंडमस (Writ of Mandamus) को वैकल्पिक उपचार (धारा 154(3) और 156(3) CrPC, अब क्रमशः धारा 173(4) और 175(3) BNSS) के लंबित रहने के आधार पर खारिज किया जा सकता है।
4. **धनलक्ष्मी बनाम तेलंगाना राज्य (तेलंगाना उच्च न्यायालय, 2025):** इस मामले में स्पष्ट किया गया कि यदि SHO शिकायत दर्ज करने से मना करता है, तो पीड़ित को क्रमशः SP (धारा 173(4) BNSS) और फिर मजिस्ट्रेट (धारा 175(3) BNSS) के पास जाना चाहिए। इन उपचारों को दरकिनार कर सीधे रिट दायर करना कानून सम्मत नहीं है।

---

४. प्रमुख न्यायिक निर्णयों की तालिका (Key Cases Table)

क्र.सं.	केस का नाम और उद्धरण (CITATION)	न्यायालय	केंद्रीय सिद्धांत / होल्डिंग (HOLDING)
1.	*Md. Laskar Ali v. The State of Assam* (WP(C)/407/2025)	गौहाटी उच्च न्यायालय (2025)	स्पष्ट किया कि धारा 156(3) CrPC की शक्ति अब **धारा 175(3) BNSS** में निहित है। FIR दर्ज न होने पर रिट याचिका के बजाय इसी धारा के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाना सही प्रक्रिया है।
2.	*Bheem Yadav v. State of Chhattisgarh* (CRMP/1585/2025)	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (2025)	निर्धारित किया कि सीधे उच्च न्यायालय आने के बजाय पीड़ित को **धारा 175(3)** या **धारा 223 BNSS (निजी शिकायत)** के तहत वैकल्पिक न्यायिक उपचार चुनना चाहिए।
3.	*Lalita Kumari v. Govt. of U.P.* (2014) 2 SCC 1	उच्चतम न्यायालय (संविधान पीठ)	संज्ञेय अपराध के खुलासे पर FIR दर्ज करना अनिवार्य है। प्रारंभिक जांच केवल सीमित और निर्दिष्ट मामलों में ही संभव है।
4.	*Dhanalakshmi v. State of Telangana* (WP/8439/2025)	तेलंगाना उच्च न्यायालय (2025)	पीड़ित को वैकल्पिक उपचारों (SHO -> SP -> Magistrate) के क्रमिक चक्र का पालन करना चाहिए; सीधे मैंडमस रिट जारी नहीं की जा सकती।

क्र.सं.	केस का नाम और उद्धरण (CITATION)	न्यायालय	केंद्रीय सिद्धांत / होल्डिंग (HOLDING)
5.	*Shiv Raj Bahadur v. Union of India* (2024:AHC-LKO:58358-DB)	इलाहाबाद उच्च न्यायालय (2024)	स्पष्ट किया कि 'ललिता कुमारी' का सिद्धांत पीड़ित को वैधानिक वैकल्पिक उपचारों (अब BNSS प्रावधानों) का उपयोग किए बिना सीधे रिट याचिका दायर करने का अधिकार नहीं देता।

५. व्यावहारिक चरणबद्ध मार्गदर्शिका (Step-by-Step Practical Remedy Guide)

यदि आपकी संज्ञेय अपराध की FIR पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जा रही है, तो इन चरणों का पालन करें:

`[चरण १: थाना प्रभारी (SHO) को शिकायत (धारा 173(1) BNSS)]`

`|`

`(यदि पुलिस इनकार करे)`

`▼`

`[चरण २: लिखित विवरण डाक/ईमेल द्वारा पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजना (धारा 173(4) BNSS)]`

`|`

`(यदि कोई कार्रवाई न हो)`

`▼`

`[चरण ३: शपथ पत्र के साथ मजिस्ट्रेट के पास आवेदन (धारा 175(3) BNSS) / सीधे निजी शिकायत (धारा 223 BNSS)]`

- **नोट:** नए कानून (BNSS) के तहत, इलेक्ट्रॉनिक संचार (Electronic Communication) के माध्यम से भी FIR दर्ज कराई जा सकती है, बशर्ते शिकायतकर्ता ३ दिनों के भीतर थाने जाकर उस पर हस्ताक्षर करे (धारा 173(1)(ii) BNSS)।

अस्वीकरण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।